उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-3

संख्या-46/2025/287/23-3-2025-1743657

लखनऊ, दिनांक: 28 फरवरी, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

लोक निर्माण अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-I/397287/2023, दिनांक 27.09.2023 के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में नवीन तकनीक के कार्य विशेषतया Full Depth Reclamation (FDR) एवं नवीन तकनीकी कार्यों को सुचारू एवं प्रभावी रूप से कराये जाने के संबंध में परामर्श हेतु तकनीकी सलाहकार के 01 (एक) नि:संवर्गीय पद की निरन्तरता कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से दिनांक 28.02.2025 तक के लिए निर्गत की गयी थी। उक्त पद पर श्री विजय कुमार सिंह, से0नि0 प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग को तैनात किया गया है। उक्त सृजित अस्थायी पद की निरन्तरता दिनांक 01.03.2025 से 28.02.2026 तक बढ़ाये जाने तथा श्री विजय कुमार सिंह, से0नि0 प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.09.2023 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन उक्त पद पर यथावत तैनात रखने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-8-815-X-2024-25, दिनांक-28.02.2025 के माध्यम से प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

प्रभुनाथ,

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव,प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियंता (ग्रामीण सड़क)/प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रबंध निदशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ/प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।